न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2017 (डूंगरपुर आर्डर)

सवा पिता नाथू घोघरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी मझोला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
2. बाबुलाल पिता सवा घोघरा मीणा, जाति आदिवासी, निवासी मझोला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0
भू–राजस्व अधि0 1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर, डूंगरपुर दिनांक
21–12–2016, प्रकरण सं0 3/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

———::———

निर्णय दिनांक

26–04–2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी ने मौजा पादरडी के खसरा नंबर 36 रकबा 54 बीघा 12 बिस्वा किस्म मगरी बिलानाम में से 2 बिस्वा भूमि पर कच्चा मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है तथा इसे लकर विवाद है। अतएवं विपक्षी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर कच्चा मकान तत्काल हटाया जावे।

उक्त प्रकरण दर्ज होने पर विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसके द्वारा उक्त निर्माण 20 वर्ष पूर्व किया जाकर उसमें निवासरत है। इसके अलावा उसके पास रहने हेतु कोई मकान नहीं है तथा गांव में सरकारी भूमि पर अन्य लोगों द्वारा भी निर्माण किये गये हैं। अतएवं मेरे इस पुराने अतिक्रमण का नियमन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 15–12–2015 से विपक्षी के उक्त मकान को तत्काल विध्वंश करने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध विपक्षी ने प्रथम अपील जिला कलक्टर डूंगरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर जिला कलक्टर न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 21–12–2016 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज कर तहसीलदार डूंगरपुर के निणय दिनांक 15–12–2015 को यथावत रखा।

उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 31–01–2017 को प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है तथा उसके पास रहने एवं काश्त हेतु पर्याप्त जमीन नहीं है तथा अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होकर उसका जीविकोपार्जन काश्त ही है। अपीलान्ट का मकान 20 वर्षो से बना हुआ है तथा वह भूमिहीन होने से उसका अतिक्रमण नियमन किया जावे।

विद्वान राजकीय पैरोकार ने बताया कि अपीलान्ट के विरूद्ध ग्रामीणों द्वारा शिकायत किये जाने पर अपीलान्ट को सुनकर तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा उसके मकान को ध्वस्त करने का आदेश

दिया गया है, जिसे जिला कलक्टर डूंगरपुर ने भी दोनों पक्षों के सुनने के बाद यथावत रखा है। अतएवं अपील सारहीन हाने से खारिज की जावे ताथा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो यह पाया कि तहसीलदार डूंगरपुर द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर उसे अतिकमी मानते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर ने भी अपने विस्तृत निर्णय से बहाल रखा है तथा अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज कर दी है। अपीलान्ट ने अपने पुराने कब्जे की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर जिला कलक्टर डूंगरपुर का निर्णय दिनांक 21–12–2016 एवं तहसीलदार डूंगरपुर का निर्णय दिनांक 15–12–2015 यथावत रख जात हैं।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर